

प्रेषक,

सुनील कुमार
प्रमुख सचिव
उत्तर प्रदेश शासना

सेवा में,

- 1- समस्त मण्डलायुक्त, उ0प्र0
- 2- समस्त जिलाधिकारी, उ0प्र0

समाज कल्याण अनुभाग-3

लखनऊ: दिनांक 14 जून, 2016

विषय:- अत्याचारों से उत्पीड़ित अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के व्यक्तियों की आर्थिक सहायता एवं पुर्नवासन की दरों में वृद्धि।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक समाज कल्याण अनुभाग-3 के शासनादेश संख्या-1670/26-3-2015-4(256)/1994 दिनांक 14.08.2015 को अतिक्रमित करते हुये मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम-1989 की धारा 23 की उपधारा-1 द्वारा प्रगत शक्तियों का प्रयोग करते हुये सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा दिनांक 23.06.2014 को अधिसूचना जारी की गयी है, जिसके माध्यम से अनुसूचित एवं अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) नियम-1995 एवं संशोधन नियम-2014 में संशोधन करते हुये अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) (संशोधन) नियम-2016 बनाया गया है। प्रदेश में अत्याचारों से उत्पीड़ित अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के व्यक्तियों के लिये पूर्व में स्वीकृत आर्थिक सहायता की दरों को संशोधित करते हुये भारत सरकार की अधिसूचना दिनांक 14 अप्रैल, 2016 को लागू करने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं।

2- अनुसूचित जाति एवं जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम-1989 के अधीन भारत के असाधारण राजपत्र दिनांक 14.04.2016 के भाग-11 खण्ड-3 उपखण्ड-(प) में प्रख्यापित "अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) (संशोधन) नियम-2016 के आधार पर प्रदेश में अत्याचारों से पीड़ित अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति" के व्यक्तियों की राहत राशि के लिये माप दण्ड निम्नवत् निर्धारित किये जाते हैं-

क्रम सं0	अपराध का नाम	राहत की न्यूनतम राशि
1	2	3
1	अखाद्य या घृणाजनक पदार्थ रखना (अधिनियम की धारा 3(1)(क))	पीड़ित व्यक्ति को एक लाख रूपया । पीड़ित व्यक्ति को संदाय निम्नानुसार किया जायेगा:
2	मल-मूत्र, मल, पशु शव या कोई अन्य घृणाजनक पदार्थ इकट्ठा करना (अधिनियम की धारा 3(1)(ख))	(i) क्रम संख्यांक (2) और (3) के लिए प्रथम सूचना रिपोर्ट (एफआईआर) पर 10 प्रतिशत और क्रम संख्यांक (1), (4) और (5) के लिए प्रथम सूचना रिपोर्ट प्रक्रम पर 25 प्रतिशत;
3	क्षति करने, अपमानित या क्षुब्ध करने के आशय से मलमूत्र, कूडा, पशु शव इकट्ठा करना (अधिनियम की धारा 3(1)(ग))	
4	जूतों की माला पहनाना या नग्न या अर्द्ध नग्न घुमाना (अधिनियम की धारा 3(1)(घ))	(ii) जब आरोप पत्र न्यायालय में भेजा जाता है, तब 50 प्रतिशत

5	बलपूर्वक ऐसे कार्य करना जैसे, कपड़े उतारना, बलपूर्वक सिर का मुड़न करना, मूँछे हटाना, चेहरे या शरीर को पोतना (अधिनियम की धारा 3(1)(ड़)	(iii) जब अभियुक्त व्यक्ति क्रम संख्या (2) और (3) के लिए अवर न्यायालय द्वारा दोषसिद्ध कर दिया जाता है, तब 40 प्रतिशत और इसी प्रकार क्रम संख्यांक (1), (4) और (5) के लिए 25 प्रतिशत
6	भूमि को सदोष अधिभोग में लेना या उस पर खेती करना (अधिनियम की धारा 3(1)(च)	पीड़ित व्यक्ति को रूपये एक लाख। जहाँ आवश्यक हो वहाँ सम्बन्धित राज्य सरकार या संघ राज्य प्रशासन द्वारा सरकार खर्चे पर भूमि या परिसर या जल आपूर्ति या सिंचाई सुविधा वापस लौटायी जायेगी। पीड़ित व्यक्ति को नियमानुसार संदाय किया जायेगा: (i) प्रथम सूचना रिपोर्ट (एफआईआर) प्रक्रम पर 25 प्रतिशत। (ii) न्यायालय को आरोप पत्र भेज दिये जाने पर 50 प्रतिशत। (iii) अवर न्यायालय द्वारा अभियुक्त के दोष सिद्ध किये जाने पर 25 प्रतिशत।
7	भूमि या परिसरों से सदोष बेकब्जा करना या अधिकारों जिनके अन्तर्गत वन अधिकार भी है, के साथ हस्तक्षेप करना (अधिनियम की धारा 3(1)(छ)	
8	बेगार या अन्य प्रकार के बलातश्रम या बंधुआ श्रम (अधिनियम की धारा (3) (1)(ज)	पीड़ित व्यक्ति को एक लाख रूपये। संदाय निम्नानुसार किया जायेगा: (i) प्रथम सूचना रिपोर्ट (एफआईआर) प्रक्रम पर 25 प्रतिशत। (ii) न्यायालय को आरोप पत्र भेज दिये जाने पर 50 प्रतिशत। (iii) अवर न्यायालय द्वारा अभियुक्त के दोष सिद्ध किये जाने पर 25 प्रतिशत।
9	मानव या पशु शवों की अंत्येष्टि या ले जाने या कब्रों को खोदने के लिए विवश करना खूअधिनियम की धारा (3) (1)(झ)	
10	अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति के सदस्य को हाथ से सफाई करवाना या ऐसे प्रयोजन के लिए उसे नियोजित करना खूअधिनियम की धारा (3) (1) (ञ)	
11	अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति की स्त्री को देवदासी के रूप में कार्य निष्पादन करना या समर्पण या संवर्धन करने खूअधिनियम की धारा (3) (1) (ट)	
12	मतदान करने या नाम निर्देशन फाइल करने से निवारित करना खूअधिनियम की धारा (3) (1) (ठ)	पीड़ित व्यक्ति को पचासी हजार रूपये। संदाय निम्नानुसार किया जायेगा: (i) प्रथम सूचना रिपोर्ट (एफआईआर) प्रक्रम पर 25 प्रतिशत। (ii) न्यायालय को आरोप पत्र भेज दिये जाने पर 50 प्रतिशत। (iii) अवर न्यायालय द्वारा अभियुक्त के दोष सिद्ध किये जाने पर 25 प्रतिशत।
13	पंचायत या नगर पालिका के पद के धारक को कर्तव्यों के पालन में मजबूर करना या अभित्रस्त करना या उनमें व्यवधान डालना खूअधिनियम की धारा (3) (1) (ड)	
14	मतदान के पश्चात् हिंसा और सामाजिक तथा आर्थिक बहिष्कार का अधिरोपड खूअधिनियम की धारा (3) (1) (ढ)	

15	किसी विशिष्ट अभ्यर्थी के लिए मतदान करने या उसको मतदान नहीं करने के लिए इस अधिनियम के अधीन कोई अपराध करना खूअधिनियम की धारा (3) (1) (ण)	
16	मिथ्या, द्वेष पूर्ण या तंग करने वाली विधिक कार्रवाइयां संस्थित करना खूअधिनियम की धारा (3), (1) (त),	पीड़ित व्यक्ति को पचासी हजार रुपये या वास्तविक विधिक खर्चों और नुकसानियों की प्रतिपूर्ति जो भी कम हो। संदाय निम्नानुसार किया जायेगा: (i) प्रथम सूचना रिपोर्ट (एफआईआर) प्रक्रम पर 25 प्रतिशत। (ii) न्यायालय को आरोप पत्र भेज दिये जाने पर 50 प्रतिशत। (iii) अवर न्यायालय द्वारा अभियुक्त के दोष सिद्ध किये जाने पर 25 प्रतिशत।
17	किसी लोक सेवक को को मिथ्या और तुच्छ सूचना देना खूअधिनियम की धारा (3), (1) (थ),	पीड़ित व्यक्ति को एक लाख रुपये या वास्तविक विधिक खर्चों और नुकसानियों की प्रतिपूर्ति जो भी कम हो। संदाय निम्नानुसार किया जायेगा: (i) प्रथम सूचना रिपोर्ट (एफआईआर) प्रक्रम पर 25 प्रतिशत। (ii) न्यायालय को आरोप पत्र भेज दिये जाने पर 50 प्रतिशत। (iii) अवर न्यायालय द्वारा अभियुक्त के दोष सिद्ध किये जाने पर 25 प्रतिशत।
18	लोक दृष्टि में आने वाले किसी स्थान पर साशय अपमान या अपमानित किये जाने के लिए अभित्रास खूअधिनियम की धारा (3) (1) (द),	पीड़ित व्यक्ति को एक लाख रुपये। संदाय निम्नानुसार किया जायेगा:- (i) प्रथम सूचना रिपोर्ट (एफआईआर) प्रक्रम पर 25 प्रतिशत।
19	लोक दृष्टि में आने वाले किसी स्थान पर जाति के नाम से गाली गलौज करना खूअधिनियम की धारा (3) (1) (ध),	(ii) न्यायालय को आरोप पत्र भेज दिये जाने पर 50 प्रतिशत। (iii) निचले न्यायालय द्वारा अभियुक्त के दोष सिद्ध किये जाने पर 25 प्रतिशत।
20	धार्मिक माने जाने वाली या अतीत श्रद्धा से ज्ञात किसी वस्तु को नष्ट करना, हानि पहुँचाना या उसे अपवित्र करना खूअधिनियम की धारा 3 (1) (न),	
21	शत्रुता, घृणा से वैमन्सय की भावनाओं में अभिवृद्धि करना खूअधिनियम की धारा (3), (1) (प),	
22	अति श्रद्धा से माने जाने वाले किसी दिवंगत व्यक्ति का शब्दों द्वारा या किसी अन्य साधन से अनादर करना खूअधिनियम की धारा (3), (1) (फ),	
23	किसी अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति की स्त्री को साशय ऐसे कार्यों या अंगविक्षेपों का उपयोग	पीड़ित व्यक्ति को दो लाख रुपये। संदाय निम्नानुसार किया जायेगा:-

	करके जो लैगिंग प्रकृति के कार्य के रूप में हो, उसकी सहमति के बिना उसे स्पर्श करना खूअधिनियम की धारा (3), (1) (ब),	(i) प्रथम सूचना रिपोर्ट (एफआईआर) प्रक्रम पर 25 प्रतिशत। (ii) न्यायालय को आरोप पत्र भेज दिये जाने पर 50 प्रतिशत। (iii) अवर न्यायालय द्वारा अभियुक्त के दोष सिद्ध किये जाने पर 25 प्रतिशत।
24	भारतीय दंड संहिता की धारा 326ख (1860 का 45) स्वेच्छया अम्ल फेंकना या फेंकने का प्रयत्न करना खूअधिनियम की अनुसूची के साथ पठित धारा (3)(2)(फक),	(क) ऐसे पीड़ित व्यक्ति को जिसका चेहरा 2 प्रतिशत या उससे अधिक जला हुआ है या आँख, कान, नाक और मुँह के प्रकार्य हास और या शरीर पर 30 प्रतिशत से अधिक जलन की क्षति की दशा में आठ लाख पच्चीस हजार रूपए (ख) ऐसे पीड़ित व्यक्ति को जिसका शरीर 10 प्रतिशत से 30 प्रतिशत के बीच में जला हुआ है, चार लाख पंद्रह हजार रूपए (ग) ऐसा पीड़ित व्यक्ति, चेहरे के अतिरिक्त, जिसका शरीर 10 प्रतिशत से कम जला हुआ है, को पचासी हजार रूपए। इसके अतिरिक्त राज्य सरकार या संघ राज्य प्रशासन अम्ल के हमले के पीड़ित व्यक्ति के उपचार के लिए पूरी जिम्मेदारी लेगा। मद (क) से (ग) के निबन्धानुसार संदाय निम्नानुसार किया जायेगा। (i) प्रथम सूचना रिपोर्ट (एफआईआर) प्रक्रम पर 50 प्रतिशत (ii) चिकित्सा रिपोर्ट के प्राप्त हो जाने पर 50 प्रतिशत।
25	भारतीय दंड संहिता की धारा 354 (1860 का 45) स्त्री की लज्जा भंग करने के आशय से उस पर हमला या अपराधिक बल का प्रयोग खूअधिनियम की अनुसूची के साथ पठित धारा (3)(2)(वक),	पीड़ित व्यक्ति को दो लाख रूपए। संदाय निम्नानुसार किया जायेगा: (i) प्रथम सूचना रिपोर्ट (एफआईआर) प्रक्रम पर 50 प्रतिशत। (ii) न्यायालय को आरोप पत्र भेज दिये जाने पर 25 प्रतिशत। (iii) अवर न्यायालय द्वारा विचारण के समाप्त होने पर 25 प्रतिशत।
26	भारतीय दंड संहिता की धारा 354 (1860 का 45) लैगिंग उत्पीड़न और लैगिंग उत्पीड़नों के लिए दण्ड खूअधिनियम की अनुसूची के साथ पठित धारा (3)(2)(अक)	पीड़ित व्यक्ति को दो लाख रूपए। संदाय निम्नानुसार किया जायेगा: (i) प्रथम सूचना रिपोर्ट (एफआईआर) प्रक्रम पर 50 प्रतिशत। (ii) न्यायालय को आरोप पत्र भेज दिये जाने पर 25 प्रतिशत।

		(iii) निचले न्यायालय द्वारा विचारण के समाप्त होने पर 25 प्रतिशत।
27	भारतीय दंड संहिता की धारा 354ख (1860 का 45) निर्वस्त्र करने के आशय से स्त्री पर हमला या आपराधिक बल का प्रयोग खूअधिनियम की अनुसूची के साथ पठित धारा (3)(2)(वक)	पीड़ित व्यक्ति को दो लाख रूपए। संदाय निम्नानुसार किया जायेगा: (i) प्रथम सूचना रिपोर्ट (एफआईआर) प्रक्रम पर 50 प्रतिशत। (ii) न्यायालय को आरोप पर भेज दिये जाने पर 25 प्रतिशत। (iii) अवर न्यायालय द्वारा विचारण के समाप्त होने पर 25 प्रतिशत।
28	भारतीय दंड संहिता की धारा 354ग (1860 का 45) दृश्यरतिकता खूअधिनियम की अनुसूची के साथ पठित धारा (3)(2)(वक)	पीड़ित व्यक्ति को दो लाख रूपए। संदाय निम्नानुसार किया जायेगा: (i) प्रथम सूचना रिपोर्ट (एफआईआर) प्रक्रम पर 10 प्रतिशत। (ii) न्यायालय को आरोप पत्र भेज दिये जाने पर 50 प्रतिशत। (iii) अवर न्यायालय द्वारा अभियुक्त व्यक्ति को दोष सिद्ध किये जाने पर 40 प्रतिशत।
29	भारतीय दंड संहिता की धारा 354घ (1860 का 45) पीछा करना खूअधिनियम की अनुसूची के साथ पठित धारा (3)(2)(वक)	पीड़ित व्यक्ति को दो लाख रूपए। संदाय निम्नानुसार किया जायेगा: (i) प्रथम सूचना रिपोर्ट (एफआईआर) प्रक्रम पर 10 प्रतिशत। (ii) न्यायालय को आरोप पत्र भेज दिये जाने पर 50 प्रतिशत। (iii) अवर न्यायालय द्वारा अभियुक्त व्यक्ति को दोष सिद्ध किये जाने पर 40 प्रतिशत।
30	भारतीय दंड संहिता की धारा 376ख (1860 का 45) पति द्वारा अपनी पत्नी के साथ पृथक्करण के दौरान मैथुन खूअधिनियम की अनुसूची के साथ पठित धारा (3)(2)(वक)	पीड़ित व्यक्ति को दो लाख रूपए। संदाय निम्नानुसार किया जायेगा: (i) चिकित्सा परीक्षा और पुष्टिकारक चिकित्सा रिपोर्ट के पश्चात् 50 प्रतिशत। (ii) न्यायालय को आरोप पत्र भेज दिये जाने पर 25 प्रतिशत। (iii) अवर न्यायालय द्वारा अभियुक्त व्यक्ति को दोष सिद्ध किये जाने पर 25 प्रतिशत।
31	भारतीय दंड संहिता की धारा 376ग (1860 का 45) प्राधिकार में किसी भी व्यक्ति द्वारा मैथुन खूअधिनियम की अनुसूची के साथ पठित धारा (3)(2)(वक),	पीड़ित व्यक्ति को चार लाख रूपए। संदाय निम्नानुसार किया जायेगा: (i) चिकित्सा परीक्षा और पुष्टिकारक चिकित्सा रिपोर्ट के पश्चात् 50 प्रतिशत। (ii) न्यायालय को आरोप पत्र भेज दिये जाने पर

		25 प्रतिशत। (iii) अवर न्यायालय द्वारा विचारण के समाप्ति पर 25 प्रतिशत।
32	भारतीय दंड संहिता की धारा 509 (1860 का 45) शब्द, अंगविक्षेप या कार्य जो किसी स्त्री की लज्जा का अनादर करने के लिए आशयित है खूअधिनियम की अनुसूची के साथ पठित धारा (3)(2)(vक),	पीड़ित व्यक्ति को दो लाख रूपए। संदाय निम्नानुसार किया जायेगा: (i) प्रथम सूचना रिपोर्ट (एफआईआर) प्रक्रम पर 25 प्रतिशत। (ii) न्यायालय को आरोप पत्र भेज दिये जाने पर 50 प्रतिशत। (iii) अवर न्यायालय द्वारा अभियुक्त व्यक्ति को दोष सिद्ध किये जाने पर 25 प्रतिशत।
33	जल को दूषित या गन्दा करना खूअधिनियम की धारा (3)(1)(भ),	सामान्य सुविधा जिसके अन्तर्गत जब पानी दूषित कर दिया जाता है की सफाई भी है, को वापस लौटाने का पूरा खर्च सम्बद्ध राज्य सरकार या संघ राज्यक्षेत्र प्रशासन द्वारा वहन किया जाएगा। इसके अतिरिक्त आठ लाख पच्चीस हजार की रकम स्थानीय निकाय के परामर्श से जिला प्राधिकारी द्वारा विनिश्चय की जाने वाली प्रकृति की सामुदायिक आस्तियों को सृजित करने के लिए जिला मजिस्ट्रेट के पास जमा की जाए।
34	लोक समागम के किसी स्थान से गुजरने के लिए रुढ़िजन्य अधिकार से इन्कार या लोक समागम के ऐसे स्थान का उपयोग करने या उस पर पहुँच रखने में बाधा पहुँचाना खूअधिनियम की धारा (3)(1)(म),	सम्बन्धित राज्य सरकार या संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन द्वारा पीड़ित व्यक्ति को चार लाख पच्चीस हजार रूपए और गुजरने के अधिकार के प्रत्यावर्तन का खर्च। संदाय निम्नानुसार किया जायेगा: (i) प्रथम सूचना रिपोर्ट (एफआईआर) प्रक्रम पर 25 प्रतिशत। (ii) न्यायालय को आरोप पत्र भेज दिये जाने पर 50 प्रतिशत। (iii) निचले न्यायालय द्वारा अभियुक्त व्यक्ति को दोष सिद्ध किये जाने पर 25 प्रतिशत।
35	गृह, ग्राम या निवास का स्थान छोड़ने के लिए मजबूर करना खूअधिनियम की धारा (3)(1)(य),	सम्बन्धित राज्य सरकार या संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन द्वारा गृह, ग्राम या निवास के अन्य स्थान पर स्थल या ठहरने के अधिकार की बहाली और पीड़ित व्यक्ति को एक लाख रूपए की राहत तथा सरकारी खर्च पर गृह का पुनः संनिर्माण, यदि विनिष्ट हो गया है। संदाय निम्नानुसार किया जायेगा: (i) प्रथम सूचना रिपोर्ट (एफआईआर) प्रक्रम पर

		<p>25 प्रतिशत।</p> <p>(ii) न्यायालय को आरोप पत्र भेज दिये जाने पर 50 प्रतिशत।</p> <p>(iii) अवर न्यायालय द्वारा अभियुक्त व्यक्ति को दोष सिद्ध किये जाने पर 25 प्रतिशत।</p>
36	<p>निम्नलिखित के सम्बन्ध में, किसी रीति में अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति के सदस्य को बाधा डालना या निवारित करना-</p> <p>(अ) क्षेत्र की सामान्य सम्पत्ति या अन्य के साथ समानता के अधिकार पर कब्रिस्तान या शमशान भूमि या किसी नदी, धारा, झरना, कुंआ, टैंक, हौज, नल या अन्य जल स्थान या नहाने के घाट, किसी लोक परिवहन, किसी सड़क या रास्ते का उपयोग खूअधिनियम की धारा (3)(1)(यक)(अ),</p>	<p>(अ) क्षेत्र की सामान्य सम्पत्ति संसाधनों कब्रिस्तान या शमशान भूमि का अन्य के साथ समानता के आधार पर उपयोग को या किसी नदी, धारा, झरना, कुंआ, टैंक, हौज, नल या अन्य जल स्थान या नहाने के घाट, किसी लोक परिवहन, किसी सड़क या रास्ते का उपयोग समानता के आधार पर सम्बन्धित राज्य सरकार या संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन द्वारा बहाल करना और पीड़ित को एक लाख रूपए की राहता संदाय निम्नानुसार किया जायेगा:</p> <p>(i) प्रथम सूचना रिपोर्ट (एफआईआर) प्रक्रम पर 25 प्रतिशत।</p> <p>(ii) 50 प्रतिशत जब आरोप पत्र न्यायालय को भेजा जाता है।</p> <p>(iii) 25 प्रतिशत जब अभियुक्त को अवर न्यायालय द्वारा दोष सिद्ध किये जाने पर।</p>
	<p>(आ) सार्वजनिक स्थानों पर साइकिल या मोटर साइकिल पर सवार होना या जूता आदि या नये वस्त्र पहनना या बारात निकालना या बारात के दौरान घोड़े की सवारी या किसी अन्य वाहन की सवारी करना खूअधिनियम की धारा (3)(1)(यक)(आ),</p>	<p>(आ) सार्वजनिक स्थानों पर साइकिल या मोटर साइकिल पर सवार होना या जूता आदि या नये वस्त्र पहनना या बारात निकालना या बारात के दौरान घोड़े की सवारी या किसी अन्य वाहन की सवारी की राज्य सरकार या संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन द्वारा बहाली करना और पीड़ित को एक लाख रूपए का अनुतोषा संदाय निम्नानुसार किया जायेगा:</p> <p>(i) प्रथम सूचना रिपोर्ट (एफआईआर) प्रक्रम पर 25 प्रतिशत।</p> <p>(ii) 50 प्रतिशत जब आरोप पत्र न्यायालय को भेजा जाता है।</p> <p>(iii) 25 प्रतिशत जब अभियुक्त को अवर न्यायालय द्वारा दोष सिद्ध किये जाने पर।</p>
	<p>(इ) किसी ऐसे पूजा स्थल में प्रवेश करना, जो पब्लिक या अन्य व्यक्तियों के लिए खुले हुये हैं, जो उसी धर्म के हैं या कोई धार्मिक जुलूस या किसी सामाजिक या सांस्कृतिक जुलूस, जिसके अन्तर्गत यात्रा है, निकालना या उनमें भाग लेना</p>	<p>(इ) अन्य व्यक्तियों के साथ समानतापूर्वक किसी ऐसे पूजा स्थल में प्रवेश करना, जो पब्लिक या अन्य व्यक्तियों के लिए खुले हुये हैं, जो उसी धर्म के हैं या कोई धार्मिक जुलूस या किसी सामाजिक या सांस्कृतिक जुलूस, जिसके अन्तर्गत यात्रा हैं,</p>

	खूअधिनियम की धारा (3)(1) (यक)(इ),	निकालना या उनमें भाग लेने के अधिकार की राज्य सरकार या संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन द्वारा बहाली करना और पीड़ित को एक लाख रूपए का अनुतोषा संदाय निम्नानुसार किया जायेगा: (i) प्रथम सूचना रिपोर्ट (एफआईआर) प्रक्रम पर 25 प्रतिशत। (ii) 50 प्रतिशत जब आरोप पत्र न्यायालय को भेजा जाता है। (iii) 25 प्रतिशत जब अभियुक्त को अवर न्यायालय द्वारा दोष सिद्ध किये जाने पर।
	(ई) किसी शैक्षणिक संस्था, अस्पताल, औषधालय, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, दुकान या सार्वजनिक मनोरंजन के स्थान या किसी सार्वजनिक स्थान में प्रवेश करना या पब्लिक के लिए खुले किसी स्थान में पब्लिक द्वारा उपयोग के लिए आशयित बर्तनों या वस्तुओं का उपयोग खूअधिनियम की धारा (3)(1) (यक)(ई),	(ई) किसी शैक्षणिक संस्था, अस्पताल, औषधालय, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, दुकान या सार्वजनिक मनोरंजन के स्थान या किसी सार्वजनिक स्थान में प्रवेश करना या पब्लिक के लिए खुले किसी स्थान में पब्लिक द्वारा उपयोग के लिए आशयित बर्तनों या वस्तुओं के उपयोग राज्य सरकार या संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन द्वारा बहाली करना और पीड़ित को एक लाख रूपए का अनुतोषा संदाय निम्नानुसार किया जायेगा: (i) प्रथम सूचना रिपोर्ट (एफआईआर) प्रक्रम पर 25 प्रतिशत। (ii) 50 प्रतिशत जब आरोप पत्र न्यायालय को भेजा जाता है। (iii) 25 प्रतिशत जब अभियुक्त को अवर न्यायालय द्वारा दोष सिद्ध किये जाने पर।
	(उ) कोई व्यवसाय करना या कोई वृत्तिक, व्यापार या कारबार करना या किसी कार्य में नियोजन, जिनमें पब्लिक के किसी अन्य व्यापार सदस्यों या उसके किसी भाग का उपयोग करने का या उस तक पहुँच का अधिकार है। खूअधिनियम की धारा (3)(1) (यक)(उ),	(उ) कोई व्यवसाय करना या कोई वृत्तिक, व्यापार या कारबार करना या किसी कार्य में नियोजन, जिनमें पब्लिक के किसी अन्य व्यापार सदस्यों या उनके किसी भाग का उपयोग करने का या उस तक पहुँच का अधिकार है। राज्य सरकार या संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन द्वारा बहाली करना और पीड़ित को एक लाख रूपए का अनुतोषा संदाय निम्नानुसार किया जायेगा: (i) प्रथम सूचना रिपोर्ट (एफआईआर) प्रक्रम पर 25 प्रतिशत। (ii) 50 प्रतिशत जब आरोप पत्र न्यायालय को भेजा जाता है। (iii) 25 प्रतिशत जब अभियुक्त को अवर न्यायालय द्वारा दोष सिद्ध किये जाने पर।
37	डायन होने या जादू-टोना करने का आरोप लगाने	पीड़ित को एक लाख रूपए और उसके अनादर,

	से शारीरिक क्षति या मानसिक अपहानि कारित करना खू(अधिनियम की धारा (3)(1) (यख),	बेइज्जती, क्षति और उसकी अवमानना के अनुसार संदाय (i) प्रथम सूचना रिपोर्ट (एफआईआर) प्रक्रम पर 25 प्रतिशत (ii) 50 प्रतिशत जब आरोप पत्र न्यायालय को भेजा जाता है। (iii) 25 प्रतिशत जब अभियुक्त को अवर न्यायालय द्वारा दोष सिद्ध किये जाने पर।
38	सामाजिक या आर्थिक बहिष्कार अधिरोपित करना या उसकी धमकी देना खू(अधिनियम की धारा (3)(1) (यग),	सम्बन्धित राज्य सरकार या संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन द्वारा अन्य व्यक्तियों के साथ समान रूप से सभी सामाजिक और आर्थिक सेवाओं की बहाली और पीड़ित को एक लाख रूपए का अनुतोष। जिसका संदाय पूर्ण रूप से अवर न्यायालय को आरोप पत्र भेजने पर किया जायेगा।
39	मिथ्या साक्ष्य देना या गढ़ना। खू(अधिनियम की धारा (3)(2)(प) और (पप),	पीड़ित को चार लाख पचास हजार रूपए संदाय निम्नानुसार किया जायेगा: (i) प्रथम सूचना रिपोर्ट (एफआईआर) प्रक्रम पर 25 प्रतिशत। (ii) 50 प्रतिशत जब आरोप पत्र न्यायालय को भेजा जाता है। (iii) 25 प्रतिशत जब अभियुक्त को अवर न्यायालय द्वारा दोष सिद्ध किये जाने पर।
40	भारतीय दंड संहिता (1860 का 45) के अधीन अपराध करना, जो दस वर्ष से उससे अधिक के कारावास से दंडनीय है। खू(अधिनियम की धारा (3)(2),	पीड़ित और या उसके आश्रितों को चार लाख रूपए। इस रकम में फेरफार हो सकता है यदि अनुसूची में विनिर्दिष्ट अन्यथा उपबन्ध किया गया हो, संदाय निम्नानुसार किया जायेगा: (i) प्रथम सूचना रिपोर्ट (एफआईआर) प्रक्रम पर 25 प्रतिशत। (ii) 50 प्रतिशत जब आरोप पत्र न्यायालय को भेजा जाता है। (iii) 25 प्रतिशत जब अभियुक्त को अवर न्यायालय द्वारा दोष सिद्ध किये जाने पर।
41	भारतीय दंड संहिता (1860 का 45) के अधीन अपराध करना, जो अधिनियम की अनुसूची में विनिर्दिष्ट हैं, जो ऐसे दंड से दंडनीय है जैसा ऐसे अपराधों के लिए भारतीय दंड संहिता में विनिर्दिष्ट किया गया है। खू(अधिनियम के साथ पठित धारा (3)(2)(va),	पीड़ित और या उसके आश्रितों को दो लाख रूपए। इस रकम में फेरफार हो सकता है यदि अनुसूची में विनिर्दिष्ट अन्यथा उपबन्ध किया गया हो, संदाय निम्नानुसार किया जायेगा: (i) प्रथम सूचना रिपोर्ट (एफआईआर) पर 25 प्रतिशत (ii) 50 प्रतिशत जब आरोप पत्र न्यायालय को

		<p>भेजा जाता है।</p> <p>(iii) 25 प्रतिशत जब अभियुक्त को अवर न्यायालय द्वारा दोष सिद्ध किये जाने पर।</p>
42	<p>लोक सेवक के हाथों पीड़ित करना खू(अधिनियम की धारा (3)(2)(अपप),</p>	<p>पीड़ित और या उसके आश्रितों को दो लाख रूपए। संदाय निम्नानुसार किया जायेगा:</p> <p>(i) प्रथम सूचना रिपोर्ट (एफआईआर) पर 25 प्रतिशत।</p> <p>(ii) 50 प्रतिशत जब आरोप पत्र न्यायालय को भेजा जाता है।</p> <p>(iii) 25 प्रतिशत जब अभियुक्त को अवर न्यायालय द्वारा दोष सिद्ध किये जाने पर।</p>
43	<p>निःशक्तता। सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय की अधिसूचना सं0-16-18/97-एनआई तारीख 1 जून, 2001 में यथा प्रमाणन की प्रक्रिया के लिए अंतर्विहित विभिन्न निःशक्ताओं के मूल्यांकन के लिए मार्गदर्शक सिद्धांत अधिसूचना की एक प्रति उपाबंध 2 पर है।</p>	
	<p>(क) शत-प्रतिशत अक्षमता</p>	<p>पीड़ित को आठ लाख और पच्चीस हजार रूपए संदाय निम्नानुसार किया जायेगा:</p> <p>(i) चिकित्सा जाँच और चिकित्सा रिपोर्ट की पुष्टि के पश्चात् 50 प्रतिशत।</p> <p>(ii) 50 प्रतिशत जब आरोप पत्र न्यायालय को भेजा जाता है।</p>
	<p>(ख) जहाँ अक्षमता शत-प्रतिशत से कम हैं किन्तु पचास प्रतिशत से अधिक है।</p>	<p>पीड़ित को चार लाख और पचास हजार रूपए संदाय निम्नानुसार किया जायेगा:</p> <p>(i) चिकित्सा जाँच और चिकित्सा रिपोर्ट की पुष्टि के पश्चात् 50 प्रतिशत।</p> <p>(ii) 50 प्रतिशत जब आरोप पत्र न्यायालय को भेजा जाता है।</p>
	<p>(ग) जहाँ अक्षमता पचास प्रतिशत से कम है।</p>	<p>पीड़ित को दो लाख और पचास हजार रूपए संदाय निम्नानुसार किया जायेगा:</p> <p>(i) चिकित्सा जाँच और चिकित्सा रिपोर्ट की पुष्टि के पश्चात् 50 प्रतिशत।</p> <p>(ii) 50 प्रतिशत जब आरोप पत्र न्यायालय को भेजा जाता है।</p>
44	<p>बलात्संग या सामूहिक बलात्संग (i) बलात्संग (भारतीय दंड संहिता (1860 का 45) की धारा 375)</p>	<p>पीड़ित को पाँच लाख रूपए संदाय निम्नानुसार किया जायेगा:</p> <p>(i) चिकित्सा जाँच और चिकित्सा रिपोर्ट की पुष्टि के पश्चात् 50 प्रतिशत।</p> <p>(ii) 25 प्रतिशत जब आरोप पत्र न्यायालय को</p>

		<p>भेजा जाता है।</p> <p>(iii) अवर न्यायालय द्वारा विचारण की समाप्ति पर 25 प्रतिशत।</p>
	(ii) सामूहिक बलात्संग (भारतीय दंड संहिता (1860 का 45) की धारा 376 घ)	<p>पीड़ित को आठ लाख पच्चीस हजार रूपए संदाय निम्नानुसार किया जायेगा:</p> <p>(i) चिकित्सा जाँच और चिकित्सा रिपोर्ट की पुष्टि के पश्चात् 50 प्रतिशत।</p> <p>(ii) 25 प्रतिशत जब आरोप पत्र न्यायालय को भेजा जाता है।</p> <p>(iii) अवर न्यायालय द्वारा विचारण की समाप्ति पर 25 प्रतिशत।</p>
45	हत्या या मृत्यु	<p>पीड़ित को आठ लाख पच्चीस लाख रूपए संदाय निम्नानुसार किया जाएगा:</p> <p>(i) शव परीक्षा के पश्चात् 50 प्रतिशत।</p> <p>(ii) 50 प्रतिशत जब आरोप पत्र न्यायालय को भेजे जाने पर।</p>
46	हत्या, मृत्यु, सामूहिक हत्या, बलात्संग, सामूहिक बलात्संग, स्थायी अक्षमता और डकैती के पीड़ितों को अतिरिक्त अनुतोष।	<p>पूर्वोक्त मदों के अधीन संदत्त अनुतोष की रकम के अतिरिक्त अनुतोष का अत्याचार की तारीख से तीन मास के भीतर निम्नानुसार प्रबन्ध किया जाएगा:-</p> <p>(i) अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजातियों से सम्बन्ध रखने वाले मृतक व्यक्ति की विधवा या अन्य आश्रितों के प्रतिमास पाँच हजार रूपए की मूल पेंशन के साथ अनुज्ञेय महंगाई भत्ता, जैसा सम्बन्धित राज्य सरकार या संघ राज्य क्षेत्र के सरकारी सेवकों को लागू है और मृतक के कुटुम्ब के सदस्यों को रोजगार और कृषि भूमि, घर, यदि तुरन्त क्रय द्वारा आवश्यक हो, का उपबन्ध।</p> <p>(ii) पीड़ित के बालकों की स्नातक स्तर तक शिक्षा की पूरी लागत और उनका भरण-पोषण। बालकों को सरकार द्वारा पूर्णतया: वित्त पोषित आश्रम स्कूलों या आवासीय स्कूलों में दाखिल किया जा सकेगा:</p> <p>(iii) बर्तनों, चावल, गेहूँ, दालों, दलहन आदि तीन मास की अवधि के लिए उपबन्ध।</p>
47	घरों को पूर्णतया नष्ट करना या जलाना।	<p>ईंटों या पत्थरों से बने हुए घरों का निर्माण या सरकारी लागत पर उन्हें वहाँ उपलब्ध कराना जहाँ उन्हें पूर्णतया जला दिया गया है या नष्ट कर दिया गया है।</p>

3- दिनांक 14.04.2016 को भारत सरकार द्वारा प्रख्यापित उक्त नियमावली की एक-एक प्रति संलग्न कर प्रेषित करते हुये अवगत कराना है कि इसमें निहित प्राविधानों के आधार पर सभी जनपदों में कार्यवाही किये जाना अपेक्षित है। इसमें निहित प्राविधान के सम्बन्ध में व्यापक प्रचार-प्रसार भी किया जाना है। भारत सरकार द्वारा अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम-2014 में किये गये संशोधनों को राज्य सरकार द्वारा एडाप्ट कर लिया गया है। अतः इसका कार्यान्वयन सुनिश्चित किया जाय।

4- नियमावली में आर्थिक सहायता की संशोधित दरें इस शासनादेश के निर्गत होने की तिथि से लागू मानी जायेगी। अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम-2014 को उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा शासनादेश संख्या-1670/26-3-2015-4(256)/1994, दिनांक 14.08.2015 के द्वारा एडाप्ट किया गया है। अतः उक्त नियमावली के जिन प्राविधानों में भारत सरकार द्वारा अधिसूचना दिनांक 14.06.2016 के माध्यम से संशोधन किया गया है, इन प्राविधानों के अलावा नियमावली के शेष प्राविधान पूर्ववत् लागू रहेंगे।

5- इस पर वित्त विभाग की सहमति प्राप्त कर ली गयी है।

कृपया उपर्युक्त निर्देशों का अनुपालन प्रभावी ढंग से सुनिश्चित कराने का कष्ट करें।
संलग्नक-यथोपरि।

भवदीय,

(सुनील कुमार)
प्रमुख सचिवा

पृ0सं0-118/2016/1405(1)/26-3-2016 तद्विनांक:-

प्रतिलिपि:-निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. महालेखाकार, उ0प्र0, इलाहाबाद।
2. संयुक्त सचिव, सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय, शास्त्री भवन, नई दिल्ली।
3. निदेशक, सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय, शास्त्री भवन, नई दिल्ली।
4. निदेशक, राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग, 5 वीं मंजिल, केन्द्रीय भवन, सेक्टर एच, अलीगंज, लखनऊ।
5. प्रमुख सचिव, वित्त विभाग/राजस्व विभाग/गृह विभाग/ग्राम विकास विभाग/आवास एवं शहरी नियोजन विभाग/महिला एवं बाल विकास विभाग/पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग/विकलांग कल्याण विभाग, उ0प्र0 शासन।
6. सचिव, राजस्व परिषद, उ0प्र0/अपर पुलिस महानिदेशक, विशेष जांच, उ0प्र0, लखनऊ।
7. सचिव, उ0प्र0 अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति आयोग, लखनऊ।
8. अपर पुलिस महानिदेशक, विशेष जांच, उ0प्र0, लखनऊ।
9. निदेशक, समाज कल्याण, उ0प्र0 लखनऊ को इस आशय से प्रेषित कि कृपया वे अपने अधिनस्थ समस्त अधिकारियों को संशोधन नियम-2016 भेजते हुये पूर्ण स्थिति से अपने स्तर से अवगत कराते हुये इसका क्रियान्वयन सुनिश्चित कराने का कष्ट करें।
10. निदेशक, जनजाति विकास, उ0प्र0, लखनऊ।
11. अध्यक्ष/प्रबंधक, उ0प्र0 अनुसूचित जाति वित्त एवं विकास निगम।
12. गार्डफाइल।

आज्ञा से

(मुनीन्द्र कुमार सिंह)
विशेष सचिवा